



सत्यमेव जयते

भारतीय पुनर्वास परिषद्
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एक सांविधिक निकाय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
भारत सरकार

REHABILITATION COUNCIL OF INDIA
A Statutory Body of Ministry of Social Justice and Empowerment
Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)
Government of India

RCI-3



भारतीय पुनर्वास परिषद्

फ.क्र..5-113/Complaints/RCI/2023 92883 -64

दिनांक: 14 फ़रवरी, 2024

श्री उमा शंकर शर्मा

दिव्यांगजन आयुक्त एवं सचिव,

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सरकार, राजस्थान

के जी-3/1 ए, विशेष योग्यजन भवन,

होटल राजमहल रेजीडेंसी एरिया, जयपुर राजस्थान

ई-मेल: commissioner.sap@rajasthan.gov.in; com.disability.raj@gmail.com; Ps-sie@rajasthan.gov.in

विषय: राजस्थान सरकार द्वारा विशेष शिक्षकों के रिक्त पदों पर सामान्य शिक्षकों को (बिना वैध सी.आर.आर नंबर के) तैनात करने के संदर्भ में -
महोदय,

संसद के एक अधिनियम (आर.सी.आई अधिनियम 1992) द्वारा अधिनियमित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक वैधानिक संस्था, भारतीय पुनर्वास परिषद (आर.सी.आई) को प्रशिक्षण नीतियों और कार्यक्रमों को विनियमित करने और निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। परिषद के दायरे में आवंटित पेशेवरों/कर्मिकों की 16 श्रेणियों के लिए विशेष शिक्षा और दिव्यांगता पुनर्वास का क्षेत्र मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता रखने वाले और दिव्यांगता पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले योग्य पेशेवरों और कर्मियों के लिए एक केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर (सी.आर.आर) बनाए रखना भी अनिवार्य है। आर.सी.आई अधिनियम, 1992 की धारा 13 के अनुसार, इस परिषद के साथ मान्यता प्राप्त योग्यता और पंजीकरण के बिना कोई भी व्यक्ति दिव्यांगता पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कार्य नहीं कर सकता है।


2. उक्त के सन्दर्भ में परिषद को आपके द्वारा संचालित किये जानेवाले कार्यक्रम पर विचार करने का अनुरोध करने वाले पेशेवरों/संस्थानों/संघों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं।

3. इसके आलोक में, आपको सूचित किया जाता है की आर.सी.आई द्वारा अनुमोदित 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सेवारत मुख्यधारा के शिक्षकों के लिए बनाकर शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग दिया गया है। अतः आपको सूचित किया जाता है की आप द्वारा चलाया जा रहे उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्रशिक्षित शिक्षक विशेष शिक्षक हेतु मान्य नहीं होंगे।

पृष्ठ 2



4. राजस्थान में पंजीकृत विशेष शिक्षकों की सूची निम्न लिंक से प्राप्त की जा सकती है
<https://rciregistration.nic.in/rehabcouncil/newsearchpage.jsp>।

भवदीय

(विकास त्रिवेदी)
सदस्य सचिव

प्रति:

1. एकता काबरा, उपायुक्त - iv (समावेशी शिक्षा), स्कूल शिक्षा परिषद, द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक-5, डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकूल परिसर, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर, राजस्थान